



# राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर

GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE BARMER

(AN AUTONOMOUS INSTITUTION OF GOVT. OF RAJASTHAN)

Email - info.gecbarmer@gmail.com

www.gecbarmer.ac.in



Ref.: ESTT/GEC BARMER/2019/484

DATE: 26/08/2019

## —: आदेश :-

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर के वरिष्ठ छात्र नये प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ परिचय के नाम पर अश्लीन व्यवहार/रेगिंग करते हैं जो कि दण्डनीय अपराध है। इस महाविद्यालय परिसर में किसी भी वरिष्ठ छात्र द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रेगिंग लेते हुए पाये जाने पर वित्तीय दण्ड के अतिरिक्त निम्नांकित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है :-

1. दोषी छात्रों को कालांश से निष्काशित किया जा सकता है।
2. दोषी छात्रों को संस्थान से निष्काशित किया जा सकता है।
3. दोषी छात्र पर आर्थिक जुर्माना किया जा सकता है।
4. सार्वजनिक माफी मांगने को कहा जा सकता है।
5. इनकी छात्रवृत्ति अथवा संस्थान से मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकता है।
6. दोषी छात्र को पुलिस प्रशासन को सौंपा जा सकता है। इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है।

व्यक्तिगत अथवा सामुहिक रूप से रेगिंग की कार्यवाही करते पाये जाने पर अथवा पहचान न हो पाने अथवा छिपाये जाने की स्थिति में सामुहिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है तथा ऐसे छात्रों पर कानूनी कार्यवाही कर भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 323 के तहत रेगिंग लेते हुए पाये जाने पर क्रमशः एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों ही धारा 354 के तहत दो वर्ष की कारावास का प्रावधान रखा गया है। अतः कोई भी छात्र/छात्रा रेगिंग जैसी दण्डनीय हरकत या अपराध न करके नये प्रवेशित छात्रों को लघुभ्राता की तरह स्नेह एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करे।

रेगिंग के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :-

1. श्री कमल पंवार, रजिस्ट्रार, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर
2. कु. प्रियंका मीना, प्रवक्ता, केमीकल इंजिनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर
3. सुश्री शीना ताहिरा खान, अतिथि प्रवक्ता, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर
4. श्री बाबुलाल, वरि. प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर।
5. श्री भंवरलाल, वार्डन, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर।
6. श्री सौरभ पंवार, अतिथि प्रवक्ता, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर।
7. श्री दीपसिंह, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण।

उक्त अधिकारी छात्र को उपरोक्त अपराध में लिप्त पाये जाने पर रिपोर्ट प्राचार्य के समक्ष दण्ड की अभिशंका के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्रों पर प्रभावी होंगे।

(डॉ. एस.के. विश्वा) प्राचार्य

Ref.: ESTT/GEC Barmer/2019/485-492

Date : 26/08/2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. श्री कमल पंवार, रजिस्ट्रार, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर
02. कु. प्रियंका मीना, प्रवक्ता, केमीकल इंजिनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर
03. सुश्री शीना ताहिरा खान, अतिथि प्रवक्ता, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर
04. श्री बाबुलाल, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर।
05. श्री भंवरलाल, वार्डन, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर।
06. श्री सौरभ पंवार, अतिथि प्रवक्ता, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर।
07. श्री दीपसिंह, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण।
08. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. एस.के. विश्वा) प्राचार्य